न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 24/2022

प्रार्थी

चतराराम पुत्र सकाराम जी, जाति–मीणा, निवासी–केसरपुरा, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, केसरपुरा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत केसरपूरा, तहसील– शिवगंज, जिला सिरोही
3. रामलाल पुत्र भेराराम जी, जाति– मीणा, निवासी– केसरपुरा, तहसील– शिवगंज, जिला सिरोही (राज.)

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री महेश शर्मा, प्रार्थी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या–3 (तीन) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 21 जनवरी, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी चतराराम पुत्र सकाराम जी, जाति– मीणा, निवासी– केसरपुरा की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत अप्रार्थी श्री रामलाल पुत्र भेराराम जी मीणा, निवासी– केसरपुरा के पक्ष में क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 22.10.2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये एवं ग्राम पंचायत, केसरपुरा से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या– 3 (तीन) की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह देवडा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–3 (तीन) की ओर से निगरानी आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 को नोटिस की तामिल होने पर अप्रार्थी संख्या 2 (ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, केसरपुरा) की ओर से दिनांक 05.9.2023 को निगरानी आवेदन का जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा ने बहस के दौरान प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ग्राम केसरपुरा, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही का निवासी है एवं प्रार्थी अपने परिवार सहित ग्राम केसरपुरा में निवास करता है तथा अप्रार्थी संख्या 3 भी ग्राम केसरपुरा, पटवार हल्का बडगांव में निवास करता है एवं अप्रार्थी रामलाल ने बिलानाम कृषि भूमि जिसके खसरा संख्या 286 रकबा 0.14 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 428 रकबा 0.02 बीघा व खसरा संख्या 429 रकबा 0.12 बीघा किस्म रास्ता व खाल खद्दर में अतिक्रमण कर कच्चा केलुपोश के मकान का निर्माण किया है जिसके संबंध में तहसीलदार, शिवगंज द्वारा मौके की जांच कर अप्रार्थी रामलाल का उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण होने से अप्रार्थी रामलाल को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने के आदेश पटवारी हल्का, केसरपुरा को दिये है, जिसके प्रकरण संख्या 76/2017 हैं। जिसमें पटवारी हल्का, केसरपुरा द्वारा मौके से

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

बेदखल करने व जुर्माना करने के संबंध में अप्रार्थी रामलाल के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी के मकान के पश्चिम दिशा में पड़ी खाली भूमि जो कि रास्ते की भूमि है व रास्ते के उपयोग में आ रही थी, इस 10 फीट गली की भूमि को अप्रार्थी रामलाल ने बन्द कर रास्ता अवरूद्ध कर पक्का मकान का निर्माण करवाया है। जिससे तहसीलदार व पटवारी हल्का बडगांव द्वारा बेदखल करने की कार्यवाही की गई, लेकिन अप्रार्थी रामलाल ने दिनांक 22.09.2021 को ग्राम पंचायत, केसरपुरा में झूठे तथ्य बताकर उक्त अतिक्रमण को पुराना 50 वर्ष पूर्व का व पुश्तैनी होना बताते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत आवासीय पट्टा संख्या 24 दिनांक 22.10.2021 को जारी करवाया है, जबकि उक्त पट्टा संख्या 24 की भूमि, राजस्व रेकर्ड में राजकीय बिलानाम किस्म खाल खद्दर व रास्ता भूमि दर्ज है। ग्राम पंचायत, केसरपुरा के सरपंच व सचिव द्वारा सरासर फर्जी व कुटरचित तरीके से उक्त भूमि पंचायत की आबादी भूमि नहीं होते हुए भी राजस्व बिलानाम भूमि पर अप्रार्थी रामलाल से मेल मिलावट कर सुनियोजित षड्यन्त्र रचकर फर्जी पट्टा विलेख जारी किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत को राजकीय बिलानाम भूमि में पट्टे जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो भूमि पंचायत की आबादी भूमि नहीं है फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा विलेख जारी किया हैं जो कानूनन अवैध व शून्य है। यह कि अप्रार्थी रामलाल द्वारा ग्राम केसरपुरा के खसरा संख्या 429, 428 व 286/14 किस्म खाल खद्दर रास्ते की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं एवं जो सरकारी बिलानाम भूमि है उस पर अप्रार्थी रामलाल द्वारा अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने से तहसीलदार, शिवगंज द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही अमल में लायी गई एवं दिनांक 12.01.2018 को अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त भूमि से बेदखली का आदेश पारित कर जुर्माने से दण्डित किया गया है। उक्त भूमि, सरकारी बिलानाम भूमि होने की जानकारी ग्राम पंचायत, केसरपुरा के सरपंच व सचिव को होते हुए भी फर्जी व कुटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार कर राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण की भूमि का पट्टा विलेख अप्रार्थी रामलाल के हक में जारी किया हैं जो राजस्थान पंचायती राज नियमों के विपरित है। ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत् केवल मात्र ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर बने हुए पुराने आवासीय मकानों का ही राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत् पुराने गृह के कब्जे के आधार पर पट्टा विलेख जारी करने का अधिकार हैं, जबकि प्रश्नगत पट्टा संख्या 24 की भूमि आबादी भूमि नहीं हैं बल्कि सरकारी खाल खद्दर व रास्ते की भूमि हैं जो राजस्व रेकर्ड से साबित है। ग्राम पंचायत को सरकारी बिलानाम भूमि का पट्टा विलेख जारी करने का कोई अधिकार नहीं होते हुए ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी रामलाल के पक्ष में सरकारी बिलानाम भूमि किस्म खाल खद्दर व रास्ते की भूमि का पट्टा जारी किया है, जो विधि विरुद्ध है। प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2019 (2) DNJ (Raj.) Page 570 ISSACK KHAN VS STATE OF RAJASTHAN, 2017(2) DNJ (Raj.) Page 668 Jabber Singh Rajput vs State of Rajasthan, 2016(4) DNJ 1799 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी रामलाल के पिता भेराराम पुत्र वेलाजी के नाम से ग्राम पंचायत, केसरपुरा ने पट्टा जारी किया हुआ है तथा पिता के नाम से जारी पट्टे के पास की भूमि का अप्रार्थी रामलाल को पट्टा जारी किया है जबकि अप्रार्थी रामलाल अपने पिता की इकलौती सन्तान है तथा अपने पिता के साथ ही पुराने मकान में जिसका पट्टा जारी किया हुआ है में निवास कर रहा है। अप्रार्थी रामलाल ने उक्त पट्टा जारी करने हेतु दिनांक 28.6.2021 को आवेदन दिया जिस पर ग्राम पंचायत, केसरपुरा ने प्रथम बैठक 06.07.2021 में उक्त पट्टे की मिसल दायर की, जिससे उक्त

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही * राजस्थान
सत्यमेव जयते

पट्टे की मिसल दायरा दिनांक 06.07.2021 अंकित किया जानी थी, जबकि उक्त पट्टे में मिसल की दायरा दिनांक 22.9.2021 अंकित है। उक्त पट्टे के सम्बन्ध में आपत्ति नोटिस दिनांक 4.10.2021 को जारी किये जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की साधारण बैठक में लिया गया तथा आपत्ति आक्षेप प्रस्तुत करने हेतु एक माह का नोटिस दिया जाना था लेकिन ग्राम पंचायत ने 18 दिन में ही अप्रार्थी रामलाल के हक में पट्टा जारी कर दिया। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, केसरपुरा के सरपंच व सचिव ने विधि के आज्ञापक प्रावधानो की पालना नही की है। यह कि प्रशासन गाँवो के अभियान की अधिसूचना राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांकःप.12(2)(1) राज—1/2020 दिनांक 16.08.2021 को जारी हुई थी जबकि अप्रार्थी रामलाल द्वारा उक्त पट्टा के लिए आवेदन 28.6.2021 को प्रस्तुत किया जा चुका था जिससे प्रशासन गाँव के संग अभियान में उक्त पट्टा जारी नही किया जा सकता था जिसका भी अप्रार्थीगण ने लोप किया है। कार्यालय पंचायत समिति शिवगंज के कार्यालय आदेश 119 दिनांक 18.4.2017 के तहत की गई जांच रिपोर्ट में प्रार्थी चतराराम के पश्चिम दिशा में स्थित दिवार से 3 फुट जगह रखते हुए अप्रार्थी रामलाल को निर्माण कार्य की अनापत्ति जारी करने की पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत को निर्देश दिये गए थे जिसकी पालना ग्राम पंचायत ने नही की तथा गलत पट्टा गली की भूमि का जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या—3 (रामलाल) के पक्ष में ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 22.10.2021 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या— 3 (रामलाल) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 (रामलाल) के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए व्यक्त किया कि प्रार्थी चतराराम का स्वयं का रहवास उपरोक्त खसरा संख्या 286 रकबा 0—14 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 428 रकबा 0.02 बीघा, खसरा संख्या 429 रकबा 0.12 की भूमि में हैं। उपरोक्त दर्शित खसरा संख्या 286 रकबा 0—14 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 428 रकबा 0.02 बीघा, खसरा संख्या 429 रकबा 0.12 कौनसे गांव व कौनसी पंचायत में है जो प्रार्थी ने अपने निगरानी आवेदन में कहीं पर उल्लेख नहीं किया है। यह कि तहसीलदार न्यायालय, शिवगंज के प्रकरण संख्या 76/2017 में पारित निर्णय की अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही में हुई थी जिसके अपील संख्या 4/2018 है एवं इस अपील में इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25.02.2022 को चुका है तथा इस निर्णय दिनांक 25.2.2022 के द्वारा अपील को स्वीकार किया जाकर बेदखली के आदेश को निरस्त किया जाकर अप्रार्थी रामलाल का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होने से उक्त भूमि नियमन योग्य मानते हुए तहसीलदार, शिवगंज को विधि अनुरुप पुनः निर्णय करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था। जिस पर तहसीलदार, शिवगंज के न्यायालय में पुनः प्रकरण संख्या 76/2017 दर्ज किया जाकर मौके की रेकर्ड अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक, शिवगंज, पटवारी हल्का केसरपुरा व बडगांव से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक, शिवगंज, पटवारी हल्का केसरपुरा व बडगांव द्वारा दिनांक 24.11.2022 को मौके की रेकर्ड अनुसार जांच कर जांच रिपोर्ट तहसीलदार, शिवगंज को प्रस्तुत की गई। जिस पर तहसीलदार, शिवगंज ने उक्त प्रकरण संख्या 76/2017 में दिनांक 30.11.2022 को निर्णय पारित कर अप्रार्थी रामलाल का मकान राजस्व ग्राम की सीमा पर होने से अप्रार्थी रामलाल के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 का प्रकरण तकनीकी रुप से चलाये जाने योग्य नही होने से निरस्त किया गया है। इससे भी यह जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 3 का मकान पुराना बना हुआ है एवं भू अभिलेख निरीक्षक, शिवगंज एवं पटवारी हल्का केसरपुरा व बडगांव की उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 24.11.2022 में उक्त भूमि के आस पास सघन आबादी होना अंकित

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

करते हुए पैमाईश की जाना संभव नही होना बताया है, जिसके कारण तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 76/2017 में अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही को निरस्त किया गया है। यह कि प्रार्थी निगरानीकर्ता के पिता सकाराम जी व अप्रार्थी संख्या 3 के मध्य आपसी राजीनामा लिखत दिनांक 20.01.2008 को हुआ था, जिसमें कई पर भी गली का उल्लेख नहीं है एवं आपसी राजीनामा लिखत के अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 के पूर्व के भूखण्ड़ की दिशा में व प्रार्थी निगरानीकर्ता के पिता सकाराम के पश्चिम भूखण्ड़ की दिशा में मध्य की बाड के बीच छीण के टुकडे डालकर सहमति से दिवार निकालने की दोनों पक्षों ने सहमति जाहिर की तथा उसके बाद निगरानीकर्ता के पिता सकाराम जी व अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने अपने हिस्से में अलग-अलग दिवार का निर्माण किया गया था तथा ईकरारनामे के आधार पर यह शर्त रखी थी कि प्रार्थी निगरानीकर्ता के पिता उक्त दिवार की पश्चिम दिशा में किसी भी प्रकार की खिड़की या रोशनदान नही लगायेगा तथा इस ईकरारनामे के आधार पर राजीनामा होने पर ईकरारनामे की शर्त में उल्लेखित है कि दोनों पक्षकारों के बीच भविष्य में किसी भी पक्ष द्वारा कोई विवाद इस संबंध में नहीं करेगा तथा इस विवाद को लेकर किसी भी न्यायालय या पुलिस थाने में किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा दायर नहीं करेगा, इसमें दोनों ही पक्षकार पाबन्द रहेंगे। अप्रार्थी संख्या 3 के पट्टे के सीमांकन चतुर्दशी में पूर्व दिशा में प्रार्थी निगरानीकर्ता के पिता सकाराम पुत्र वेलाजी का मकान दर्शाया हुआ है तथा पश्चिम में स्वयं की पडत भूमि का उल्लेख है एवं प्रार्थी निगरानीकर्ता ने अपने निगरानी आवेदन में उल्लेखित खसरा संख्या 428, 429 व 286/14 कौनसे ग्राम व कौनसी ग्राम पंचायत में है जिसका उल्लेख कहीं पर नहीं किया है एवं अप्रार्थी संख्या 3 पूर्व से ही उपरोक्त पट्टे शुदा भूमि पर करीब 60 वर्षों से निवासरत हैं। उपरोक्त दर्शित खसरों की भूमि पर ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा सी.सी. रोड का निर्माण किया हुआ है तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से लाभान्वित परिवारों को शौचालय निर्माण की राशि भी स्वीकृत की हुई है। यह कि अप्रार्थी संख्या 3 का निवास करीब 60 वर्षों से अपनी पट्टे शुदा भूमि पर ही हैं। अप्रार्थी संख्या 3 का निवास उपरोक्त भूमि पर होने से मतदाता सूची वर्ष 1986 में ग्राम केसरपुरा, पटवार हल्का केसरपुरा, पंचायत समिति शिवगंज, जिला सिरोही के वार्ड संख्या 1 के क्रम संख्या 92 पर तथा अप्रार्थी संख्या 3 के पिता का नाम क्रम संख्या 94 पर अंकित है जो ग्राम पंचायत, केसरपुरा के ही मूल निवासी है। इससे साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थी संख्या 3 का पुराना मकान ग्राम पंचायत, केसरपुरा में बना हुआ होने से अप्रार्थी संख्या 3 को ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा नियमानुसार पुराने आवासीय मकान का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित ग्राम केसरपुरा के खसरा संख्या 429, 428, 286/14 की भूमि पर प्रार्थी निगरानीकर्ता का स्वयं का मकान और इसके लगते हुए ही अप्रार्थी संख्या 3 का मकान बना हुआ है। प्रार्थी निगरानीकर्ता चतराराम के भाई नाथुलाल का मकान भी उपरोक्त खसरो की भूमि पर ही है तथा प्रार्थी निगरानीकर्ता चतराराम का उपरोक्त खसरो की भूमि पर मुख्य रोड़ पर दुसरा मकान भी आया हुआ हैं। प्रार्थी निगरानीकर्ता ने जिस भूमि के विवाद लेकर अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है उसी खसरों की भूमि पर प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा पक्की दुकानों का निर्माण किया गया है तथा उपरोक्त खसरो की भूमि पर ग्राम केसरपुरा के ही मूल निवासीयों के करीबन 200 मकान बने हुए है। उपरोक्त खसरों की भूमि से ही लगती भूमि पर गणेश नगर बसा हुआ हैं एवं उपरोक्त खसरो की भूमि पर ही प्रार्थी निगरानीकर्ता चतराराम के पिता के नाम सकाराम पुत्र वेलाजी मीणा के नाम से वर्ष 1983 में पट्टा जारी किया है। उपरोक्त खसरों की विवादित भूमि पर ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा कई लोगों को

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय *सिरोही* सत्यमेव जयते

पट्टे जारी किये गये है, जिसमें क्रमशः पाताराम पुत्र गोवाजी मीणा को वर्ष 1981 में, बाबुलाल पुत्र लालाजी मीणा को वर्ष 1981 में, छोगाराम पुत्र लच्छाजी मीणा को वर्ष 1981 में, मकना पुत्र कोलाजी मीणा को वर्ष 1981 में, धनाराम पुत्र हटाजी को वर्ष 1981 में, मुलाराम पुत्र हटाजी को वर्ष 1981 में, मगाराम पुत्र वीराराम मीणा, कसुआराम पुत्र लादाजी मीणा 1983 में, नेताराम पुत्र गेनाराम मीणा को वर्ष 1983 में, हरजीराम पुत्र मनाजी मीणा को वर्ष 1983 में, समाराम पुत्र वेलाजी मीणा को वर्ष 1983 में, मनाराम पुत्र वेलाजी मीणा को वर्ष 1983 में, सकाराम पुत्र वेलाजी मीणा को वर्ष 1983 में, मोहनलाल पुत्र सोनारामजी गुआरिया को वर्ष में 2010 में, मांगीलाल पुत्र गुलाबरामजी गुआरिया को वर्ष 2010 में, शंकरलाल पुत्र वीराजी मीणा को वर्ष 2019 में, दिनेश पुत्र देवाराम मीणा के नाम से वर्ष 2021 में पट्टा जारी किया गया है, उपरोक्त सभी व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी ग्राम पंचायत केसरपुरा द्वारा पट्टे जारी किये गये हैं। यह कि प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 जो कि एक वृद्ध व्यक्ति है को मानसिक रूप से हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से शत्रुता रखने के कारण तथा प्रार्थी निगरानीकर्ता के भाई ग्राम विकास अधिकारी नाथुलाल के सिखावट में आकर बार–बार अप्रार्थी संख्या 3 को परेशान किया जा रहा है। जबकि प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के मकान के पास स्थित उपरोक्त खसरों की भूमि पर अवैध रूप से मुख्य रोड़ पर दुकानों का निर्माण कर दुकानों को किराये पर दिया है व प्रार्थी निगरानीकर्ता ने अवैध रूप से उपरोक्त खसरो की भूमि पर ट्यूबवेल भी खुदवाया है। यह कि आपसी राजीनामा लिखत दिनांक 20.01.2008 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 के पूर्व के भूखण्ड की दिशा में व प्रार्थी निगरानीकर्ता के पिता सकाराम के पश्चिम के भूखण्ड़ की दिशा में मध्य की बाड के बीच छीण टुकडे डालकर सहमति से दिवार निकालने की दोनों पक्षो ने सहमति जाहिर की तथा उसके बाद निगरानीकर्ता के पिता अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने अपने हिस्से में अलग–अलग दिवार का निर्माण किया था तथा ईकरारनामे के आधार पर यह शर्त रखी की निगरानीकर्ता के पिता उक्त दिवार की पश्चिम दिशा में किसी भी प्रकार की खिड़की या रोशनदान नही लगायेगा तथा ईकरारनामे के आधार पर राजीनामा होने पर ईकरारनामे की शर्त में उल्लेखित है कि दोनो पक्षकारो के बीच भविष्य में किसी भी पक्ष द्वारा कोई विवाद इस संबंध में नहीं करेगा तथा इस विवाद को लेकर किसी भी न्यायालय या पुलिस थाने में किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा दायर नहीं करेगा इसमें दोनो ही पक्षकार पाबन्द रहेंगे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 (रामलाल) के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि यह कि ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 (रामलाल) के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 22.10.2021 का ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी रामलाल के पक्ष में उप पंजीयन कार्यालय, शिवगंज में पंजीयन करवाया हुआ है व पंजीकृत विक्रय विलेखों के विरुद्ध सक्षम सिविल न्यायालय में ही कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार, पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नही होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी रामलाल पुत्र भेराराम जी, जाति– मीणा, निवासी– केसरपुरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 24 दिनांक 22.10.2021 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत आबादी भूमि में बने हुए पुराने आवासीय गृहों का विनियमितिकरण करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान है।

......पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *
सत्यमेव जयते

इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकर्ता का मुख्यतः कथन यह है कि "अप्रार्थी रामलाल ने बिलानाम कृषि भूमि जिसके खसरा संख्या 286 रकबा 0.14 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 428 रकबा 0.02 बीघा व खसरा संख्या 429 रकबा 0.12 बीघा किस्म रास्ता व खाल खद्दर में अतिक्रमण कर कच्चा केलुपोश के मकान का निर्माण किया है जिसके संबंध में तहसीलदार, शिवगंज द्वारा मौके की जांच कर अप्रार्थी रामलाल का उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण होने से अप्रार्थी रामलाल को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने के आदेश पटवारी हल्का, केसरपुरा को दिये है, जिसके प्रकरण संख्या 76/2017 हैं। जिसमें पटवारी हल्का केसरपुरा द्वारा मौके से बेदखल करने व जुर्माना करने के संबंध में अप्रार्थी रामलाल के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी के मकान के पश्चिम दिशा में पड़ी खाली भूमि जो कि रास्ते की भूमि है व रास्ते के उपयोग में आ रही थी, इस 10 फीट गली की भूमि को अप्रार्थी रामलाल ने बन्द कर रास्ता अवरुद्ध कर पक्का मकान का निर्माण करवाया है। जिससे तहसीलदार व पटवारी हल्का बडगांव द्वारा बेदखल करने की कार्यवाही की गई, लेकिन अप्रार्थी रामलाल ने दिनांक 22.09.2021 को ग्राम पंचायत, केसरपुरा में झूठे तथ्य बताकर उक्त अतिक्रमण को पुराना 50 वर्ष पूर्व का व पुश्तैनी होना बताते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत आवासीय पट्टा संख्या 24 दिनांक 22.10.2021 को जारी करवाया है, जबकि उक्त पट्टा संख्या 24 की भूमि, राजस्व रेकर्ड में राजकीय बिलानाम किस्म खाल खद्दर व रास्ता भूमि दर्ज है।" जबकि अप्रार्थी रामलाल का कथन यह है कि "प्रार्थी चतराराम का स्वयं का रहवास उपरोक्त खसरा संख्या 286 रकबा 0–14 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 428 रकबा 0.02 बीघा, खसरा संख्या 429 रकबा 0.12 की भूमि में हैं। उपरोक्त दर्शित खसरा संख्या 286 रकबा 0–14 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 428 रकबा 0.02 बीघा, खसरा संख्या 429 रकबा 0.12 कौनसे गांव व कौनसी पंचायत में है जो प्रार्थी ने अपने निगरानी आवेदन में कहीं पर उल्लेख नहीं किया है। यह कि तहसीलदार न्यायालय, शिवगंज के प्रकरण संख्या 76/2017 में पारित निर्णय की अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही में हुई थी जिसके अपील संख्या 4/2018 है एवं इस अपील में इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25.02.2022 को चुका है तथा इस निर्णय दिनांक 25.2.2022 के द्वारा अपील को स्वीकार किया जाकर बेदखली के आदेश को निरस्त किया जाकर अप्रार्थी रामलाल का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होने से उक्त भूमि नियमन योग्य मानते हुए तहसीलदार, शिवगंज को विधि अनुरुप पुनः निर्णय करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था। जिस पर तहसीलदार, शिवगंज के न्यायालय में पुनः प्रकरण संख्या 76/2017 दर्ज किया जाकर मौके की रेकर्ड अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक, शिवगंज, पटवारी हल्का केसरपुरा व बडगांव से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक, शिवगंज, पटवारी हल्का केसरपुरा व बडगांव द्वारा दिनांक 24.11.2022 को मौके की रेकर्ड अनुसार जांच कर जांच रिपोर्ट तहसीलदार, शिवगंज को प्रस्तुत की गई। जिस पर तहसीलदार, शिवगंज ने उक्त प्रकरण संख्या 76/2017 में दिनांक 30.11.2022 को निर्णय पारित कर अप्रार्थी रामलाल का मकान राजस्व ग्राम की सीमा पर होने से अप्रार्थी रामलाल के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 का प्रकरण तकनीकी रुप से चलाये जाने योग्य नही होने से निरस्त किया गया है।" अप्रार्थी रामलाल का यह भी कथन है कि "प्रार्थी निगरानीकर्ता के पिता सकाराम जी व अप्रार्थी संख्या 3 के मध्य आपसी राजीनामा लिखत दिनांक 20.01.2008 को हुआ था, जिसमें कई पर भी गली का उल्लेख नहीं है एवं आपसी राजीनामा लिखत के अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 के पूर्व के भूखण्ड की दिशा में व प्रार्थी निगरानीकर्ता के पिता सकाराम के पश्चिम भूखण्ड की दिशा में मध्य की बाड के बीच छीण के टुकडे डालकर सहमति से दिवार निकालने की दोनों पक्षों ने

......पेज सात पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

सहमति जाहिर की तथा उसके बाद निगरानीकर्ता के पिता सकाराम जी व अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने अपने हिस्से में अलग–अलग दिवार का निर्माण किया गया था तथा ईकरारनामे के आधार पर यह शर्त रखी थी कि प्रार्थी निगरानीकर्ता के पिता उक्त दिवार की पश्चिम दिशा में किसी भी प्रकार की खिड़की या रोशनदान नही लगायेगा तथा इस ईकरारनामे के आधार पर राजीनामा होने पर ईकरारनामे की शर्त में उल्लेखित है कि दोनों पक्षकारों के बीच भविष्य में किसी भी पक्ष द्वारा कोई विवाद इस संबंध में नहीं करेगा।''

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया गया कि पटवारी हल्का, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी रामलाल पुत्र भेराराम जी, जाति– मीणा, निवासी– केसरपुरा के विरुद्ध संवत् 2074 में ग्राम केसरपुरा के खसरा संख्या 429 रकबा 0–12 बीघा किस्म खाल खद्दर व खसरा संख्या 428 रकबा 0.02 बीघा किस्म रास्ता राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट तहसीलदार, शिवगंज के न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी रामलाल के विरुद्ध तहसीलदार, शिवगंज के न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 76/2017 दर्ज किया गया। न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 76/2017 में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2018 के द्वारा अप्रार्थी रामलाल को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। प्रकरण में अप्रार्थी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी यह अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकर्ड में बिलानाम एवं रास्ता दर्ज है।

प्रकरण में प्रार्थी चतराराम व अप्रार्थी रामलाल के कथनों से भी यह स्पष्ट जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी रामलाल के पक्ष में जिस भूमि पर बने मकान का पट्टा जारी किया गया है उस पट्टे की भूमि उपरोक्त खसरों की भूमि में स्थित है, जो राजस्व रेकर्ड में राजकीय बिलानाम किस्म खाल खद्दर व रास्ता भूमि दर्ज है। प्रकरण में अप्रार्थी रामलाल की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी रामलाल के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह राजकीय बिलानाम खाल खद्दर और रास्ता भूमि नही होकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि हो। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी रामलाल के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि राजस्व रेकर्ड में राजकीय बिलानाम किस्म खाल खद्दर व रास्ता भूमि दर्ज है। जबकि, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियमों के अर्न्तगत ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का जारी करने का अधिकार है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने व साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी रामलाल पुत्र भेराराम जी मीणा, निवासी– केसरपुरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 22.10.2021 को निरस्त किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21 जनवरी, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते